

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 205/2018  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018/01609

वादी	बनाम	प्रतिवादी
बलदेवदास पुत्र हड़मानदास जाति संत निवासी रोड़वा कल्ला तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.श्रीराम दास पुत्र हड़मानदास 2.श्यामदास पुत्र रुगनाथदास 3.मोहरो देवी पत्नी स्व.रुगनाथदास 4.भैरदास पुत्र अखदास 5.करणदास पुत्र अखदास 6.कुम्भदास पुत्र अखदास 7.जीतुदास पुत्र अखदास 8.हवादेवी पत्नी अखदास जाति संत निवासी. रोड़वा कल्ला तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादी
- 2.प्रतिवादी एकतरफा।



निर्णय

दिनांक-25/03/2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा रोड़वा कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 83,84 व 86 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 06.01.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादी की बहस सुन कर बाद

सहायक कलक्टर  
(350) बालोतरा

आपति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा रोड़वा कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 83,84 व 86 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	बचिन्ह
1	बलदेवदास पुत्र हडमानदास जाति साद सा. देह खातेदार	रोड़वा कलां	84 83 86	0.3643 2.4361 1.0198	नक्शे में दर्शितानुसार
2	1.अमरदास पुत्र श्रीरामदास हिस्सा 1/2 जाति साद देह खातेदार 2.चंपादास पुत्र श्रीरामदास हिस्सा - 1/2 जाति साद देह खातेदार 3.रतनदास पुत्र श्रीरामदास हिस्सा-1/2 सा. पालीवाल नगर ढाढ़णिया तहसील बालेसर 4.लक्ष्मणदास पुत्र श्रीरामदास हिस्सा-1/2 सा. पालीवाल नगर ढाढ़णिया तहसील बालेसर 5.कुबदास पुत्र अखदास हिस्सा- 1/15 जाति साद सा. देह खातेदार 6.करनदास पुत्र अखदास हिस्सा- 1/15 जाति साद सा. देह खातेदार 7.जितुदास पुत्र अखदास हिस्सा- 1/15 जाति साद सा. देह खातेदार रहन हिस्सा-1/15 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मंडली 8.धेरदास पुत्र अखदास हिस्सा- 1/15 जाति साद सा. देह खातेदार रहन हिस्सा-1/15 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मंडली 9.हवादेवी पत्नि अखदास हिस्सा- 1/15 जाति साद सा. देह खातेदार रहन हिस्सा-1/15 (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मंडली	रोड़वा कलां	84 83 86	1.9019 6.7098 2.8490	नक्शे में दर्शितानुसार



हस्ताक्षर कलकत्ता  
(S.D.O.) बलिया

10. मोहरी पत्नी रूगनाथदास हिस्सा-1/6 जाति साद देह खातेदार				
11. श्यामदास पुत्र रूगनाथदास हिस्सा-1/6 जाति साद देह खातेदार				

तहसीलदार, कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



*(Signature)*  
(अशोक कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा  
25/03/2025

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 205/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018/01609

वादी

बनाम

प्रतिवादी

बलदेवदास पुत्र हड़मानदास

जाति संत

निवासी रोड़वा कल्ला

तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1. श्रीराम दास पुत्र हड़मानदास
2. श्यामदास पुत्र रूगनाथदास
3. मोहरो देवी पत्नी स्व.रूगनाथदास
4. भैरदास पुत्र अखदास
5. करणदास पुत्र अखदास
6. कुम्भदास पुत्र अखदास
7. जीतुदास पुत्र अखदास
8. हवादेवी पत्नी अखदास जाति संत  
निवासी रोड़वा कल्ला तहसील कल्याणपुर  
व जिला बालोतरा
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 205/2018

निर्णय दिनांक :- 25.3.2025

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 25.3.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 25.3.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.3.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

## वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	_____	5. आदेशिका की तामील	_____
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
<b>जोड़</b>	_____	<b>जोड़</b>	_____



  
 सहायक कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा